भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1121

जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

एमएसएमई कंपनियों को ऋण

1121. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास निर्यात के कारोबार में शामिल एमएसएमई कंपनियों को 2.5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास निर्यात के कारोबार में शामिल एमएसएमई कंपनियो को अन्य राजसहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): एमएसएमई निर्यातकों को किफायती दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस समय एमएसएमई क्षेत्र को पोतलदान पूर्व और पोतलदान पश्चात् रुपया निर्यात ऋण पर 3% का ब्याज समतुल्यीकरण प्रदान कर रहा है। यह योजना दिनांक 31.8.2024 तक परिचालनरत है।

*****